फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

सुमित्रा वगै. बनाम राज. सरकार

किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र धारा 128 एलआर एक्ट–1956

मुकदमा नम्बर : 54/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.02.2026	पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में वास्ते आदेश आज की तिथि नियत है। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के जरिये प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। मुताबिक जवाब तहसीलदार दौसा प्रश्नगत आराजी प्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना प्रमाणित होता है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 24.05.2024 अनुसार प्रश्नगत आराजी का सीमाज्ञान किये जाने की पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि अनुभवी राजस्व दल का गठन कर ग्राम खेडली तहसील दौसा स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 196/4 का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व प्रार्थीगण की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना दी जावे। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। पालनार्थ तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी दौसा (राज०)	